संख्याः 239/1/200 - 06(2)/71/2002

प्रेषक,

डॉ० एम०सी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०
देहरादून—248001

2— अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि०,
देहरादून—248001

3— प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि०,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः21 फरवरी, 2006

विषयः— यू०पी०सी०एल०,उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० एवं पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ उत्तरांचल लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य निदेशकों के अन्य भत्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 1985/नौ—3—ऊ/2002, दिनांक 20.12.2002 के कम में उत्तरांचल जल विद्युत निगम के असिस्टैन्स कम्पनी सेकेट्री के पत्र संख्या 132/यूजेवीएनल/ACS/05,दिनांक 3—10—2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊपरी उल्लिखित शासनादेश दिनांक 20—12—2002 की सुविधा के सम्बन्ध में अवकाश के विषयक में कमांक—9 के प्राविधान का ही अतिकमण करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को आवकाश विषयक सुविधा प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं:—

कमांक	मद	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	अन्य पूर्णकालिक निदेशक
9	अवकाश	राज्य सरकार के अस्थाई कार्मिको के अनुसार अनुमन्य अवकाश देयता होगी। सेवाकाल समाप्ति एवं अन्य कारणों से कार्यमुक्त होने की दशा में संबंधित अध्यक्ष सह—प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर कार्यरत पदधारक को उनके खाते में शेष अर्जित अवकाश के सापेक्ष अवकाश नकदीकरण अनुमन्य होगा। यह सुविधा उस दशा में अनुमन्य नहीं होगी जहाँ संबंधित निगम एवं/अथवा शासन द्वारा इस हेतु स्पष्ट आदेश निर्गत किए जायें। इस व्यवस्था के अधीन अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की व्यवस्था शासन के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम शेष अवकाश सीमा एवं अन्य शर्तो के अधीन ही अनुमन्य होगा तथा पूर्व में अन्य विभाग/संस्था में इंगित कार्यावधि के शेष अवकाश सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।	राज्य सरकार के अस्थाई कार्मिको के अनुसार अनुमन्य अवकाश देयता होगी। सेवाकाल समाप्ति एवं अन्य कारणों से कार्यमुक्त होने की दशा में संबंधित अध्यक्ष सह—प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर कार्यरत पदधारक को उनके खाते में शेष अर्जित अवकाश के सापेक्ष अवकाश नकदीकरण अनुमन्य होगा। यह सुविधा उस दशा में अनुमन्य नहीं होगी जहाँ संबंधित निगम एवं/अथवा शासन द्वारा इस हेतु स्पष्ट आदेश निर्गत किए जायें। इस व्यवस्था के अधीन अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की व्यवस्था शासन के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम शेष अवकाश सीमा एवं अन्य शर्तो के अधीन ही अनुमन्य होगा तथा पूर्व में अन्य विभाग/संस्था में इंगित कार्यावधि के शेष अवकाश सम्मिलित नहीं किए जायेंगे।

2–उक्त शासनादेश दिनांक 20.12.2002 एवं शासनादेश सं0 333/नौ–3–ऊ/नि0भत्तो/2003, दिनांक 30.05.2003 में वर्णित समस्त सुविधायें यूपीसीएल से विघटन के फलस्वरूप गठित पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0 के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को भी यूपीसीएल की भांति अनुमन्य होगी।

3–निगमों में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति होने की दशा में उन्हें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के समतुल्य ही अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

4–इस शासनादेश के द्वारा संशोधित की जा रही व्यवस्था केवल तात्कालिक प्रभाव से ही लागू होगी और उक्त अवधि के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा छोड चुके पदधारकों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

5–ऊपरी उल्लिखित शासनादेश दिनांक 20–12–2002 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगे ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या257/XXVIII(7) /2006, दिनांक 01,फरवरी, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या239/1/2006/06(2)/71/2002, दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी को मा0 राज्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– प्रमुख सचिव, वित्त/सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–7
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

C:\Documents and Settings\...\Letter.doc